FORM NO.III
फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत :– जिला कलेक्टर पाली

अपीलांटः–
श्री प्रकाश राज गहलोत, नया बलूपुरा
मार्फत मांगीलाल पुत्र पीराजी निवासी
रसियावास खुर्द, पोस्ट पलासिया कलां
तहसील आहोर, जिला जालोर (राज.)

बनाम

रेस्पोडेन्ट :–
लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर) पाली

किस्म मुकदमा RTI APPEAL-- 112/2019
R.C.M.S. No. --2019/00 297
अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1/10/19	अपीलांट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर) पाली ने उनके द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाए जाने से अपील न्यायालय में पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पोडेन्ट अपना पक्ष रखने हेतु तलब होकर एवं सूचना अपीलाण्ट को दी जाकर पत्रावली दिनांक 16/10/19 को पेश हो। जिला कलेक्टर, पाली	1549-50 1.10.19
16-10-19	पत्रावली आज पेश हुई। अपीलांट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया कि लोक सूचना अधिकारी (ADM) पाली से उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नही करायी गई है जो करवाई जावे इस न्यायालय द्वारा पत्र लिखा जाने पर उनके आये पत्रांक रा0लो0सू0अप0/6(3) 278/2019/1717 दि0 16-10-2019 के अवगत कराया कि अपीलांट को श्री प्रकाशराज को वांछित सूचना उपलब्ध करवा दी गई है चूंकि अपीलांट को लोक सूचना अधिकारी पाली (ADM) द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध करा दी गई है। इसलिए इस संदर्भ में किसी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नही रहजाती है ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट इसी हेतु पर drop की जाती है। पत्रावली शुमार फौजदारी की जाकर नम्बर से कम हो। जिला कलेक्टर पाली (राज.)	